

प्रेस – नोट थाना खजनी जनपद गोरखपुर दिनांक 26.04.21

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के दिशा निर्देशन में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी खजनी द्वारा थाना खजनी जनपद गोरखपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 97/21 धारा अंतर्गत 147, 148, 149, 302, 307, 120बी भादवि व 7 CLA ACT का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी थाना खजनी जनपद गोरखपुर के ग्राम मिश्रौलिया मे दिनांक 14.04.2021 को गांव मिश्रौलिया के प्रधान पद के प्रत्याशी राघवेन्द्र नारायण दूबे पुत्र स्व0 पौहारी शरण दूबे नि0 परसाडाड थाना खजनी गोरखपुर को विपक्षी प्रधान प्रत्याशी शम्भू यादव पुत्र लखराज यादव ग्राम परसाडाड खजनी गोरखपुर द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर जान मारने की नियत से अपने सहयोगियों के साथ गोली मार दिया था, शम्भू यादव को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा उसके अन्य दो सहयोगी 1. देवेन्द्र यादव पुत्र स्व0 जवाहिर लाल निवासी ग्राम परसाडाड थाना खजनी, जनपद गोरखपुर वर्ष 2. अभिषेक पुत्र स्व0 प्रभुनाथ निवासी ग्राम परसाडाड थाना खजनी, जनपद गोरखपुर को दिनांक 26.04.21 को थानाध्यक्ष मृत्युंजय राय मय हमराह फोर्स के मुखबिर की सूचना पर सहसी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. देवेन्द्र यादव पुत्र स्व0 जवाहर लाल निवासी ग्राम परसाडाड थाना खजनी, जनपद गोरखपुर
2. अभिषेक पुत्र स्व0 प्रभुनाथ निवासी ग्राम परसाडाड थाना खजनी, जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

एक अदद डिस्कवर मोटर साइकिल नं0 UP 53 BH 6281

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 97/21 धारा अंतर्गत 147, 148, 149, 302, 307, 120बी भादवि व 7 CLA ACT

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण-

1. थानाध्यक्ष मृत्युंजय राय
2. हे0कां0 सजय सिंह
3. कां0 अजय कुमार